**[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

**केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड**

**अधिसूचना संख्या - 07/2021-केन्द्रीय कर**

**नई दिल्ली, तारीख 27 अप्रैल, 2021**

सा.का.नि. ........ (अ)- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 26 के उपनियम (1) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“परंतु यह भी कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 27 अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को एवं धारा 37 के तहत **प्ररूप जीएसटीआर-1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किये जाने वाले जावक प्रदायों के ब्यौरे को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है ।“

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020- जीएसटी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम को सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया और सा.का.नि. सं. 2(अ), तारीख 01 जनवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 01/2021- केन्द्रीय कर, तारीख 01 जनवरी, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।